16.6.17

पत्रावली कोर्ट केस न्याय आज के द्वारा -2017
कोर्ट केस मोली से दिनांक 16.6.17 को प्रस्तुत हुई।

निर्णय अलग से शिलानाथन बनाम
पत्रावली में लिया गया। पत्रावली [illegible]
होकर [illegible] से बद है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा, केम्प कोर्ट – भोली
पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 47 / 2017

1. भैरू लाल पुत्र मोहन लाल रेगर, निवासी हरणी कलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्यामलाल पुत्र मोहन लाल रेगर, निवासी हरणी कलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. जमनी बेवा मोहन लाल रेगर, निवासी हरणी कलां तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थीगणगण

बनाम

1. भवंर लाल पुत्र भैरू लाल अहीर, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
2. बक्षु पुत्र नारू भील, निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्रीराम पुत्र देवा भील, निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा।
4. चांदी बाई पत्नी माधु जाट, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा। ––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू.–राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 16.06.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 28.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोली, पटवार हल्का भोली, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 391 रकबा 04–12 बीघा, आराजी संख्या 442 रकबा 00–04 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 04–16 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम भोली, पटवार हल्का भोली, तहसील व जिला भीलवाडा मे स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 391 रकबा 04–12 बीघा, आराजी संख्या 442 रकबा 00–04 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 04–16 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी मे फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस मे उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे करा देंवे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा मे 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा करावे, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 16.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी